(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

सचिन बनाम रामेशर आदि

किस्म मुकदमा : 151 सीपीसी   प्रकरण संख्या 20 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
17.09.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई । प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर आगामी तारीख पेशी तक इस आशय का अन्तरिम स्थगन जारी किया जाता है कि रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर के खाता स0 52/45 के प0न0 220/395 के किला न0 1/1 में यदि रास्ता आदिनांक चालू हो तो **अप्रार्थीगण** आवागमन में कोई बाधा पैदा न करें । यदि किसी प्रकार का उज्र व एतराज हो तो न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी होकर दिनांक : 17/10/2024 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नोहर	
17/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील सायल/सायला उपस्थित नहीं पुन वकील सायल/सायला को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु वादी या वादी का वकील उपस्थित नहीं बाद वादी [illegible] अदम पैरवी में खारिज किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:57:04 IST
Reason: SelfAttested